राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .2320/2016.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान – मैसर्स एस.एन.एजेन्सी, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23(1) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 19,38,380/– में से रू0 5,16,362/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 12,78,918/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स पारले प्रोडक्टस प्रा.लि. अजमेर से विवादित ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी क्रय की गयी है तथा स्वयं विक्रेता द्वारा अन्तर कर राजकोष में जमा करा दिया गया है। अपीलार्थी पर दोहरा करारोपण नहीं किया जा सकता है एवं अपीलार्थी ने वेट अधिनियम के तहत देय कर जमा करा दिया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 12,78,918/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.10.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2320/2016.....जिला.....बीकानेर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/2016	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स पारले प्रोडक्टस प्रा.लि. अजमेर से विवादित ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी क्रय की गयी है तथा स्वयं विक्रेता द्वारा अन्तर कर राजकोष में जमा करा दिया गया है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 12,78,918/— की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील पर नियमित रूप से सुनवाई करते हुए उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 23.11.2016 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	